५५

५/७/२०१४

वकील ~~[illegible]~~ वादी उपस्थित है। वकील वादी नवीन वाद पत्र पेश करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विड्रो

पि/ लगातार-

नवीन वाद पत्र, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को स्वतंत्र रखते हुए उक्त वाद पत्र विड्रो करता हूँ

Praveen

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला–केकड़ी(राज0)
प्रकरण संख्या– /2024
.... बनाम ....

अन्तर्गत धाराः–..................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिसियल्य जज
	करना चाहते हैं। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये, वाद पत्र नहीं दिया गया, जिसके लिये वकील वादी द्वारा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी दर्ज की गयी। ऐसी स्थिति पत्रावली पर आगे कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वकील वादी के लिखित ~~टिप्पणी~~ टिप्पणी तथा मौखिक निवेदन को स्वीकार कर, पत्रावली पर वादीगणों के नवीन वादपत्र पेश करने के अधिकारी को सुरक्षित रखते हुये पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] SDO, BHINAY